संख्या-59/2026/1821/22-2-2024-17(631)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री बगेदू राजभर, निवासी जनपद-मऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री बगेदू राजभर, जो ग्राम-जैंगवा, थाना-मु0 बाद गोहना, जनपद-मऊ की निवासी है। आबादी की जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 22-07-2001 को 11 अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डा ईंट व पत्थर से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-266/2001, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/149, 147 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट संख्या-02, मऊ के दण्डादेश दिनांक 04.04.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.10.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष 05 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 08 माह, 25 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, मऊ द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने की संभावना, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए सिद्धदोष बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री बगेदू राजभर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 49 वर्ष, 10 माह की आयु एवं बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 05.10.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 05 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 08 माह, 25 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश (बन्दी संख्या-178/2021) पुत्र श्री बगेदू राजभर, निवासी जनपद-मऊ की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-59/2026/1821(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, मऊ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।